न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र–1658 / 2026

राज्य बनाम अज्ञात।

मु0अ0सं0–86 / 2026
धारा 125(ए), 281, 324(4) बी0एन0एस0
थाना–प्रेमनगर, जिला देहरादून

दिनांक 14.05.2026

आज प्रार्थी **सन्दीप मल्होत्रा** मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीतम सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र की सुनवाई आज ही किये जाने की प्रार्थना की गई।

2. सुना तथा वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र कार्यालय से तलब किया गया। वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी सन्दीप मल्होत्रा की ओर से दिनांक 06.05.2026 को वाहन संख्या UK-07-TB-6155 को इनोवा को रिलीज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दिनांक 12.05.2026 को तिथि नियत करते हुए थाना प्रेमनगर से आख्या मंगायी गयी। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.05.2026 को थाना प्रेमनगर से आख्या प्राप्त नहीं है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2026 की तिथि वास्ते आख्या नियत की गई। आज थाना प्रेमनगर से प्रार्थी के उपरोक्त वाहन पर आख्या प्राप्त है। चूंकि प्रार्थी की ओर से वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र पर आज की सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की गई। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र नियत दिनांक 16.05.2026 को रिपोन किया जाता है।

(साहिस्ता बानो)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

तत्पश्चात–

प्रार्थी / वाहन स्वामी सन्दीप मल्होत्रा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीतम सिंह द्वारा वाहन पंजीयन संख्या UK-07-TB-6155 को निर्मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय के अभिकथन के साथ योजित किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन पुलिस द्वारा सीज किया गया है, जो कि वर्तमान में थाना प्रेमनगर में खुली अवस्था में निरूद्ध है। वाहन के थाना परिसर में खड़े रहने से खराब होने की संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन को अपने हक में निर्मुक्त कराना चाहता है। अतः प्रार्थी के वाहन को उसके पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाना प्रेमनगर से आख्या तलब की गयी। थाने

की आख्या के अनुसार, ''उपरोक्त मुकदमे में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पंजीयन संख्या UK-07-TB-6155 को दिनांक 04.05.2026 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा कब्जे पुलिस लिया गया था, जो सुरक्षा की दृष्टि से थाना–प्रेमनगर में रखा गया है। उक्त वाहन का टेक्निकल मुआयना की कार्यवाई पूर्ण हो चुकी है।''

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, वाहन की आर0सी0 की छायाप्रति, वाहन का फॉर्म 2 सार्टीफिकेट प्रपत्र की छायाप्रति, वाहन का परमिट प्रपत्र की छायाप्रति, वाहन का प्रदूषण प्रपत्र की छायाप्रति, वाहन बीमा की छायाप्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाहन प्रार्थी सन्दीप मल्होत्रा के नाम पंजीकृत है, जिससे प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी होना दर्शित होता है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार उपरोक्त वाहन थाने पर सम्बन्धित मामले में खड़ा है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित वाद **जनरल इन्श्योरेंश काउन्सिल बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 6 एसीसी 768** एवं **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर (2002) 10 एससीसी 283** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि अभिगृहीत यान सारभूत स्थल को ग्रहण करते है और मौसम की स्थिति के कारण शीघ्रता से प्रकृत्या क्षतिग्रस्त होने के भी अध्याधीन होते हैं और यदि उसे खडा करवाया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले यान अपनी सड़क योग्यता को खो देता है तथा सामान्यतः उस यान के कलपुर्जो की या तो चोरी हो जाती है या वह निकाल लिये जाते हैं और यान चलाये जाने अयोग्य हो जाता है।

7. अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्त व मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत वाहन पंजीयन संख्या UK-07-TB-6155 को प्रार्थी/वाहन स्वामी के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अधीन सुपुर्द किया जाता हैः–

1. प्रार्थी मुब0 5,94,000/–रुपये (पांच लाख चौरानवे हजार रूपये) की धनराशि का स्वयं का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करें।

2. प्रार्थी इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपरोक्त वाहन को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।

3. यह कि दौराने विचारण प्रार्थी/वाहन स्वामी, वाहन को न किसी को विक्रय करें, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा और न ही उसके

रंग, स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा।

8. अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रेमनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उक्त वाहन की फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कर, उसे इस मामले में प्रार्थी/वाहन स्वामी सन्दीप मल्होत्रा के पक्ष में नियमानुसार निर्मुक्त करना सुनिश्चित करें।

(साहिस्ता बानो)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।